भारतीय न्याय संहिता – 2023 (2023 का 45)

- भारतीय दण्ड संहिता 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्यायो व 358 धाराओं में समायोजित कर दिया गया है।
- "क्वीन" सरकार का सेवक, ब्रिटिश इण्डिया, गवरमेंट ऑफ इण्डिया क्रमशः परिभाषाएं धारा 13, 14,15,16 को इस संहिता में निकाल दिया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराधों को प्रभावी बनाते हुए दण्ड की नई अवधारणा के रूप में नया दण्ड सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया हैं। **धारा 4(च) भारतीय न्याय संहिता 2023**
- भारतीय न्याय संहिता में 33 धाराओ में दण्ड बढ़ाया गया है और83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है, 23 धाराओं में अनिवार्य न्युनतम सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है।
- **"बालक"** और **"उभयलिंगी"** को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में परिभाषित कर दिया गया है।
- वाट माप से सम्बन्धित अपराधों के बावत विशेष अधिनियम की व्यवस्था है, इसको दृष्टिगत उक्त अपराधों से सम्बन्धित भादवि की धारा 264 से 267 को हटा दिया गया हैं।
- प्रकृति विरूद्ध अपराध व व्यभिचार (धारा 377 व व्यभिचार (जारकर्म) से समबन्धित धारा 497 भादवि) को भारतीय न्याय संहिता 2023 से निकाल दिया गया है।
- इस संहिता में नई**धारा 152** में भारत की **सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता** को खतरा पहुँचाना नया अपराध के रूप में सृजित किया गया हैं।
- भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा मैथुन करने को नये अपराध के रूप में सृजित किया गया है। **धारा 69 भारतीय न्याय संहिता 2023**
- इस संहिता में क्रूरता को परिभाषित करते हुए नई धारा बनायी गयी है। **धारा 86 भारतीय न्याय संहिता 2023**
- इस संहिता में अपराध को करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना व नियोजित करना या नियुक्त करना दण्डनीय बनाया गया है। **धारा 95 भारतीय न्याय संहिता 2023**
- भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा) किसी मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर हत्या करने पर कठोर दण्ड(मृत्य, आजीवन कारावास) दिये जाने का प्रावधान किया गया हैं। **धारा 103(2) भारतीय न्याय संहिता 2023**
- संगठित अपराधों, आतंकवादी क्रिया – कलापों के अपराधों से निपटने हेतु तीन नये अपराध से सम्बंधित नई धाराएं सृजित की गयी है। संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादीकृत्य **धारा 111, 112, 113भारतीय न्याय संहिता 2023**
- इस संहिता में **गम्भीर उपहति** की परिभाषा में जहाँ पूर्व भादवि की धारा 320 में 20 दिवस तक पीडित व्यक्ति जो सामान्य दैनिक क्रियाकलाप करने में असमर्थ होने की जगह अब 15 दिवस कर दिया गया है। **धारा 116(ज) भारतीय न्याय संहिता 2023**
- बलवा, बलवा के लिये दण्ड, घातक हथियार लेकर बलवा करना विभिन्न धाराओं **146, 147, 148 भादवि** के अपराध को एक ही धारा के विभिन्न खण्डों में समेकित कर दिया गया हैं। **धारा – 191 भारतीय न्याय संहिता 2023 में समेकित किया गया है।**
- वाट माप से सम्बन्धि धारा 264, 265, 266, 267 भादवि को भारतीय न्याय संहिता 2023 से निकाल दिया गया है। क्योंकि इन अपराधों से सम्बन्धित विशेष अधिनियम पहले से बना हुआ है।
- सामुदायिक सेवा जैसा दण्ड, लोक सेवक जो विधि विरूद्ध व्यापार में लगा हो और लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध होते हुए किसी व्यापार में लगा हो जैसे मामलों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। **धारा 202 भारतीय न्याय संहिता 2023**
- जो कोई चोरी करेगा और चोरी की सम्पत्ति का मूल्य रूपये 5000/- से कम है और पहली बार चोरी के लिए दोषसिद्ध होने और चोरी की सम्पत्ति को वापस किये जाने पर सामुदायिक सेवा दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। **धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 2023**
- छीना झपटी से सम्बंधित नया अपराध (झपटमारी) जोड़ा गया है। **धारा 304 भारतीय न्याय संहिता 2023**
- यदि कोई व्यक्ति जो नशे की हालत में लोक स्थान पर अवचार करता है- तो ऐसे मामलों में सामुदायिक सेवा दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। **धारा 355 भारतीय न्याय संहिता 2023**
- मानहानि के मामलो में भी सामुदायिक सेवा से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। **धारा 356(2) भारतीय न्याय संहिता 2023**
- व्यापार चिन्ह धारा 478 व मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। जो**धारा 480 भारतीय दण्ड संहिता में था** से संबंधित अपराधहटा दिया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम – 2023 (2023 का 47)

- इस अधिनियम में दस्तावेज की परिभाषा को विस्तृत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकार्ड को समाहित किया गया हैं। **धारा 2(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023**
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द या पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम -2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 और भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उन अधिनियम और संहिता में है। **धारा 2(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम – 2023**
- धारा 24, 28, 29 में उत्प्रेरण, धमकी या वचन से करायी गयी संस्वीकृति तथा उत्प्रेरण या धमकी से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर होने के पश्चात तथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि को अब एक ही धारा 22 **भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023** समाहित किया गया हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की धारा 25 पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति धारा 26 पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जायेगी, उक्त तीनों धाराओं के तथ्य को एक ही धारा 23 **भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023** में समाहित किया गया है।
- विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति में अब इलैक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल प्रारूप को भी लाया गया हैं। **धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023 में समाहित किया गया है।**
- जहाँ किसी कथन या किसी बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक या पत्रों के साथ – साथ इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी साक्ष्य में समाहित किया गया हैं। **धारा 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023 में समाहित किया गया है।**
- इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख को जोड़ते हुए नई धारा जोड़ी गयी हैं। धारा 61 **भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023 में समाहित किया गया है।**
- डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत – **धारा 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023**
- धारा 141 सूचक प्रश्न धारा 142 सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिएं, धारा 143 सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा, उक्त तीनों धाराओं को एक ही धारा में समाहित किया गया है। **धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023**
- इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत धारा 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023 में मान्यता दी गयी है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 166 में जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति को नये अधिनियम से निकाल दिया गया है।
- इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखक जिसका शासकीय राज पत्र होना तात्पर्यित है, उसके असली होने के सम्बन्ध में उपधारणा की जायेगी।
- इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा करने का प्रावधान किया गया हैं।
- दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जिसमें सेमीकंडक्टर संचार उपकरण जैसे – स्मार्ट फोन, लैपटॉप, ई-मेल, सर्वर, वायस मेल , लोकेशन इन सभी को साक्ष्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया हैं।
- **लोक दस्तावेज, प्राईवेट दस्तावेज** जो धारा 74 एवं 75 में प्रावधान था उसे अब एक ही धारा 74 में समाहित कर दिया गया हैं।
- पुराने साक्ष्य अधिनियम में **विशेषज्ञों की राय व इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय** जो दो धाराओं में वर्णित थे उन्हें एक ही धारा में समेकित किया गया हैं।
- इलैक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के माध्यम से अग्रेषित कोई इलैक्ट्रॉनिक संदेश या ऐसे संदेशको संशोधित किया गया हैं उसके बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया हैं।
- इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया हैं।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद

तीन नये कानून एक दृष्टि में

भारतीय दण्ड संहिता - 1860.....भारतीय न्याय संहिता - 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता - 1973....भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 1872.....भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 2023

भारत की विधायिका ने भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर उपरोक्त तीन नये कानून अधिनियमित किये है, जो वर्ष 2024 में जुलाई माह के प्रथम तिथि से प्रवर्तन में आ जायेंगे, (भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 को छोड़कर) प्रवर्तन में आने वाले नये कानूनो में सरकार का उद्देश्य "न्याय, दण्ड नही" को सुनिश्चित करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर नागरिक केन्द्रित विधिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – 2023 (2023 का 46)

- आडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक (श्रव्य, दृश्य) की प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए नई परिभाषा के अन्तर्गत दाण्डिक प्रणाली में आडियो, वीडियो व इलेक्ट्रॉनिक को समाहित किया गया हैं। **धारा 2(1)(झ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- न्यायिक प्रणाली को समेकित करते हुए महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, सहायक सत्र न्यायाधीश के पदों को समाप्त कर दिया गया हैं। **धारा 8, 10 द0प्र0सं0**
- पुलिस अधिकारियों जिसमें पुलिस अधीक्षक से नीचे का न हो, ऐसे अधिकारियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्रावधान हैं। **धारा 15 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- सामुदायिक सेवा का दण्ड केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी द्वारा दिया जा सकेगा। **धारा 23(2) व (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- सामुदायिक सेवा का दण्ड प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा 03 वर्ष तक के कारावास या 50,000/-रूपये तक के जुर्माने या दोनों में दे सकेगा। **धारा 23(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- सामुदायिक सेवा का दण्ड द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा एक वर्ष की अवधि का कारावास या 10,000/-रू0 के जुर्माने या दोनों में दे सकेगा। **धारा 23(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- छोटे अपराध जिसमें 03 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों से सम्बन्धित व्यक्ति बीमार हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र का हैं, उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया हैं। **धारा 35 (7) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- आम जनता की जानकारी को सुलभ करने हेतु थानों पर, जिला मुख्यालयों पर, सहायक उपनिरीक्षक के स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी देने की व्यवस्था डिजिटल माध्यम से करने का प्रावधान किया गया हैं। **धारा 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- प्राईवेट व्यक्ति द्वारा अजमानती और संज्ञेय अपराध जब उसकी उपस्थिति में किया जाता हैं या कोई उद्घोषित अपराधी हैं यदि प्राईवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार करता हैं। तो बिना विलम्ब किये 06 घण्टे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले करेगा और पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में निकटतम पुलिस थाने पर ले जायेगा। **धारा 40 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- हथकड़ी लगाने को वैधानिक स्वरुप देते हुए किन-किन अपराधों में अभियुक्त को हथकड़ी लगाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, उन अपराधों को विधिवत् संहिता में उल्लिखित किया गया हैं। **धारा 43(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- समन का प्रारूप इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के प्रारूप में हो सकेगा जिस पर न्यायालय की मोहर लगी होगी और डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। **धारा 63(ii)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- समन का तामीला भी इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से किया जा सकेगा। **धारा 64(ii)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- साक्षी पर समन का तामीला भी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके स्थान और पते पर भेजा जा सकेगा है। **धारा 71 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- भगोड़े व्यक्तियों को उन अपराधों में जिसमें 10 वर्ष से अधिक सजा व आजीवन कारावास, मृत्यु दण्ड हैं उनकों उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित कराया जा सकता हैं। **धारा 84(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- यह कि विवेचना करने वाले अधिकारी द्वारा अन्वेषण की प्रगति की सूचना 90 दिन की अवधि में किन्ही साधनों द्वारा जिसके अन्दर इलैक्ट्रानिक संसूचना भी है अन्वेषण की प्रगति की सूचना वादी मुकदमा व पीड़ित को देगा। **धारा 193(3)(ii)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- तलाशी एवं जब्तीकरण (Search and Seizure) की कार्यवाही में वीडियो ग्राफी कराये जाने का प्रावधान किया गया हैं, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल हैं तथा तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख (रिकॉर्ड) भी तैयार किया जा सकेगा और उसकी रिपोर्ट बिना विलम्ब किये जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा। **धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- व्यक्तियों का पुलिस के निर्देशों के अनुरूप कर्तव्य पालन की बाध्यता होगी, यदि कोई अवेहलना करता है तो उसको निरूद्ध किया जा सकेगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जायेगा। मामला छोटा होने पर 24 घण्टे के भीतर मुक्त भी किया जा सकेगा।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.)इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी करायी जा सकेगी, परन्तु सूचना देने वाला 03 दिन के भीतर सूचना पर हस्ताक्षर करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया हैं। **धारा 173भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- यदि बलात्संग के किसी अपराध की इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखा जायेगा। **धारा173(ii)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- नई संहिता मेंसंज्ञेय अपराध किये जाने से सम्बंधित प्रत्येक रिपोर्ट उस क्षेत्र से बाहर भी मौखिक रूप से या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी। **धारा 173(1)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- ऐसे मामलें जिसमें 03 वर्ष से लेकर 07 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान हैं। थानाध्यक्ष ऐसेमामलों में पुलिस उपाधीक्षक से अनुमति लेकर मुकदमा दर्ज करने से पहले प्रारम्भिक जाँच कर सकता हैं। **धारा 173(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- 07 वर्ष कारावास या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थल का निरीक्षण करेंगे और वीडियोग्राफी करेंगे। **धारा 176(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- महिलाओं से सम्बन्धित अपराध जैसेबलात्संग आदि में महिला के बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लिखा जायेगा। **धारा 180(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- **संस्वीकृति अथवा कथन–** कोई मजिस्ट्रेट जब कोई संस्वीकृति अथवा कथन लिखता हैं तो उसमें आडियो, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग कर सकेगा। **धारा** 183 **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- संस्वीकृति अथवा कथन बलात्संग के अपराधों से सम्बन्धित हो, तो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और यदि महिला मजिस्ट्रेट अनुपस्थित हैं, तो पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में लिखा जा सकेगा। **धारा 183(6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- **पुलिस रिमाण्ड –** जिन अपराधों में 60 दिन व जिन अपराधों 90 दिन की रिमाण्ड की अवधि हैं उसमें 40 दिन व 60 दिन के भीतर इक्टठा या टुकड़ो में कुल 15 दिन की पुलिस रिमाण्ड ली जा सकती हैं। **धारा 187(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- महिलाओं से सम्बन्धित अपराध जैसेबलात्संग आदि व पॉक्सो एक्ट के मामलों का अन्वेषण दो माह के भीतर पूरा करने की व्यवस्था की गयी हैं। **धारा 193(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों पत्रों आदि द्वारा किये गये अपराध और ऐसे अपराध जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकारी के भीतर का है, उस अपराध की जाँच और विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जो **धारा 202 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- जो मामले सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं, उन्हें संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिन की अवधि में मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द करदिया जायेगा। **धारा 232(घ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इस संहिता में न्यायालय द्वारा अभियुक्त का आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर आरोप लिखित रूप में बनाये जाने का प्रावधान किया गया है। **धारा 251(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इस संहिता में सेवानिवृत लोक सेवकों या कर्मचारियों व विशेषज्ञों के साक्ष्य हेतु श्रव्य – दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी साक्ष्य अंकित करने का प्रावधान किया गया हैं। **धारा 336भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इस संहिता में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311(क) को संशोधित एवं व्यापक बनाते हुए पूर्व में प्रावधानित गिरफ्तारी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया, इसके अन्तर्गत आवाज सैम्पलिंग एवं अंगुल चिन्ह को भी लिये जाने को सम्मिलित कर लिया गया है। **धारा 349 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इस संहिता में निर्णय सुनने के लिए यदि अभियुक्त अभिरक्षा में हैं उसे व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य – दृश्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्णय सुनाया जा सकता हैं। **धारा 392(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इस संहिता में नई धारा साक्षी संरक्षण स्कीम का प्रावधान किया गया है। **धारा 398 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- संपत्ति के निस्तारण में फोटो और वीडियोग्राफी के माध्यम से निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है तथा फोटो और वीडियोग्राफी को 30 दिन की अवधि के अन्दर निस्तारण सम्बंधी रिपोर्ट न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे। **धारा 497(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**
- इस संहिता में इलैक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से विचारण और अन्य कार्यवाहियों का किया जाने से सम्बन्धित नई **धारा 530भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोड़ा गया है।**
- इस संहिता में यदि कोई अभियुक्त अजमानतीय अपराध में अभिरक्षा में है तथा मामला मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय हैं, तो साक्ष्य देने की नियत पहली तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरा नहीं होता हैं, तो वह मजिस्ट्रेट समाधान होने की दशा में जमानत पर अभियुक्त को छोड़ देगा।
- इस संहिता में व्यक्तियों का पुलिस के निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना होगा जैसे पुलिस के निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- यदि कोई व्यक्ति पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवहेलना करता है, तो उसे पुलिस निरुद्ध कर सकेगी। अगर मामला छोटा है तो उसे 24 घण्टे के अन्दर मुक्त भी कर सकेगी। यह भी नया प्रावधान किया गया है।
- नई संहिता में निर्णय की तारीख से 7 दिन के भीतर पूरे निर्णय को पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था की गयी है।
- नई संहिता में गवाहों की सुरक्षा हेतु साक्षी संरक्षण स्कीम को लाया गया है। **धारा 398भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**